न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल.आर. संख्या 227/2012/ जिला–नागौर

शमशेर खां पुत्र हासम खां जाति मुसलमान निवासी जसवन्तगढ जिला नागौर हाल निवासी 3/399 मेन रोड़, खांजीपीर, उदयपुर जरिये मुख्तयारआम संजय खांन पुत्र इकबाल खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम होलीधोरा सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चुरू।

..... अपीलांट

बनाम

1. रजिया बानो पत्नी अलताफ खां जाति कायमखानी निवासी जसवन्तगढ़ तहसील लाडनू जिला नागौर।

.....असल रेस्पोन्डेन्ट्स

2. रणजीतराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट
3. श्रवणराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट
4. धन्नाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट
5. मदनलाल पुत्र धन्नाराम जाति जाट
6. तीजू देवी पत्नी झूंथाराम जाति जाट
7. प्रभूराम पुत्र झूंथाराम जाति जाट
8. हनुमानराम पुत्र झूंथाराम जाति जाट
9. फकीर मोहम्मद पुत्र रहीमा जाति मुसलमान
10. सत्तार खां पुत्र रहीमा जाति मुसलमान
    समस्त निवासीगण जसवन्तगढ तहसील लाडनू जिला नागौर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडनू जिला नागौर।

.....तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनू दिनांक 23–11–2012 प्रकरण संख्या 137/2012 बउनवान रजिया बानो बनाम तहसीलदार

उपस्थित : 1. श्री समीर अहमद अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक : 29–09–2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनू के समक्ष अपीलांट एवं

अन्य तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 359 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा सरहद जसवन्तगढ में स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में 18 बीघा 13 बिस्वा है लकिन मौके पर नाप कम है रकबा भी मौके पर सही नहीं आ रहा है जिसमें 6–7 बीघा कम है। अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 10 जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 359 की चारो दिशाओं के पड़ौसी खातेदारी खसरा नम्बर 359/856, 370, 371, 359/854 है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खसरा नम्बर 359 की भूमि 6–7 बीघा कम है का नाप चोप कर पत्थरगढ़ी की जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीया के खेत में किसी प्रकार हस्तक्षेप, दखलन्दाजी नहीं करे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये किन्तु किसी भी पक्षकार को समुचित तामीली नहीं करवाई गई। बल्कि सम्मन स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों पर तामील होना अंकित करते हुए दिनांक 22–11–2012 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 23–11–2012 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश पारित कर दिया जिसमें पत्थरगढ़ी व स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर मौजा जसवन्तगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 359 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा की पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार, लाडनू को आदेशित किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट्स की ओर से कोई पक्षकार अथवा अभिभाषक उपस्थित नहीं। अतः अपीलांट अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिये कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडने ने प्रकरण दिनांक 19–10–2012 को अन्तर्गत धारा 111 एल.आर.एक्ट का दर्ज करते हुए उसी पर मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित कर दिय तथा उसी दिन खसरा नम्बर 359 व 359/856, 370, 371, 359/854 का सीमांकन रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार को आदेश पारित कर दिये। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट्स के नोटिस स्वयं एवं परिवार के सदस्यों पर तामील होना अंकित कर दिया तथा दिनांक 22–11–2012 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए तहसीलदार, लाडनू द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होना अंकित करते हुए एक पक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 23–11–2012 को विधिविरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिये जो निरस्त योग्य हैं।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत प्रस्तुत किया था जिसमें रेस्पोन्डेन्ट द्वारा स्वयं की 6–7 बीघा भूमि कम होना अंकित की जिस पर तहसीलदार द्वारा बिना पक्षकारों को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये सीधे तौर

पर ही सीमाज्ञान रिपोर्ट मंगवाये जाने का आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए तथाकथित सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया कि पत्थरगढ़ी का आदेश सभी पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाज्ञान होने के पश्चात ही किया जा सकता है परन्तु पत्थरगढ़ी में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता और ना ही पत्थरगढ़ी के आदेश में धारा 183 का दावा प्रस्तुत किये जाने के बावजूद ही डिक्री किया जा सकता है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र पर ही अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट को पाबन्द भी कर दिया व अप्रत्यक्ष रूप से बेदखल किये जाने का आदेश भी पारित कर दिया जो विधिविपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोन्डेन्ट्स को किसी भी प्रकार की तामीली व्यक्तिगत नहीं करवायी गई बल्कि झूठे कथन अंकित करते हुए चस्पांगी कर दी गई। जिन नोटिस तामील रिपोर्ट पर कानाराम के हस्ताक्षर तथा अन्य व्यक्ति मदनलाल, रणजीत, श्रवणराम, धन्नाराम के नोटिसों पर किसी महबूब नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर हो रखे है जिससे स्पष्ट है कि पक्षकारान पर कोई तामीली नहीं करवायी गई तथा हलफिया रिपोर्ट में तामील कुनिन्दा के हस्ताक्षर है तहसीलदार द्वारा उसे किसी भी रूप से सत्यापित नहीं किया गया तहसीलदार द्वारा नोटिस तामील करवाना कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायलय के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु धारा 111 एल.आर.एक्ट व धारा 188/212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत करना अंकित किया है जिस पर ही अधिनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम तौर पर भी स्थगन आदेश दिया तथा अन्तिम तौर पर भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया तथा खसरा नम्बर 359 रकबा 18 बीघा 13 पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार को आदेश पारित कर दिया। कोई भी न्यायालय प्लीडिंग से बाहर जाकर केस को मेडआउट नहीं कर सकता है जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1988 आर.आर.डी पेज 143 पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–11–2012 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपील के तथ्यों के आलौक में अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी तथा तथा सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाडनू द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रजिया बानो पत्नी अलताफ खां द्वारा विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 359 की चारो दिशाओं के पड़ौसी खातेदारी खसरा नम्बर 359/856, 370, 371, 359/854 है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के खसरा नम्बर 359 की भूमि 6–7 बीघा कम है का नाप चोप कर पत्थरगढ़ी की जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट्स प्रार्थीया के खेत में किसी प्रकार हस्तक्षेप, दखलन्दाजी नहीं करे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट्स को नोटिस तो जारी किये गये किन्तु किसी भी रेस्पोन्डेन्ट्स को विधिवत रूप से तामीली नहीं करवाई गई। बल्कि सम्मन व नोटिस ग्राम के अपरिचित सदस्यों पर तामील व चस्पांगी होना मानते हुए दिनांक 22–11–2012 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 23–11–2012 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश पारित कर दिया जिसमें पत्थरगढ़ी व स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर मौजा जसवन्तगढ़ के आराजी खसरा नम्बर 359 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा की पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार, लाडनू को आदेश पारित कर दिया। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 को धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में बेदखली का वाद प्रस्तुत करके ही अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था। इसके बावजूद उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजरअन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट्स को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बिना विवादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी/सीमाज्ञान करने का एक पक्षीय विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जिससे अपीलांट एवं रेस्पोन्डेन्ट्स के मध्य विवाद बना हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय को विवादग्रस्त आराजियात 359 रकबा 18 बीघा 13 बिस्वा सरहद जसवन्तगढ की चारो दिशाओं के पड़ौसी खातेदार खसरा नम्बर 359/856, 370, 371, 359/854 की उपस्थिति में मौके पर सुनवाई कर मुस्तकिल मुटाम से पत्थरगढ़ी/सीमांकन का आदेश पारित किया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) लाडनू द्वारा पारित एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–11–2012 विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) लाडनू द्वारा पारित एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–11–2012 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर तहसीलदार, लाडनू को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 रजिया बानों की विवादग्रस्त आराजियात के चारो दिशाओं में स्थित समस्त पड़ौसी पीड़ित पक्षकारों को सुनकर उनकी मौजूदगी में मुस्तकिल मुटाम से विवादग्रस्त आराजियात का सीमांकन/पत्थरगढ़ी कराई जावे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर